न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्याः अपील/सीलिंग/4300/2005/हनुमानगढ

1. प्रेमाराम पुत्र चानणराम जाति लुहार निवासी चक नम्बर–9 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. पूर्णराम
3. पतराम
4. लालचन्द
5. कृष्ण पुत्रगण चानणराम
6. शंकरलाल पुत्र रामलाल

समस्त जाति लुहार निवासी चक नम्बर–9 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः

1. श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री सत्यनारायण सौलकी, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं–1

निर्णय

दिनांकः29.08.2018

यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राधिकृत अधिकारी, (एस.डी.एम.) रावतसर ने सीलिंग प्रकरण संख्या–89/2002 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम धन्नाराम में निर्णय दिनांक 27–10–2004 पारित करते हुए धन्नाराम के वारिसान को 43.04बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि बतौर एक यूनिट धारण रखने के पश्चात् शेष भूमि 69.16बीघा अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी ने इस निर्णय के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, नोहर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–05–2005 से निरस्त कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्धारित तिथि 1–1–1973 को मूल एसेसी धन्नाराम के दो बालिग पुत्र चानणराम उम्र 40 वर्ष एवं रामलाल उम्र 45 वर्ष मौजूद है, इसलिए दोनो बालिग पुत्र धारा 2–एम तथा धारा 4(2) के तहत बतौर सेपरेट यूनिट का फायदा मिलना चाहिए। उनका कथन है कि दोनों पुत्रों के बालिग होने का तथ्य स्वयं तहसीलदसार एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। उनका कथन है कि एसेसी धन्नाराम के दो पुत्रों चानणराम व रामलाल के वारिसान को प्रकरण संख्या 2407/1991 बउनवानी चानणराम बनाम राजस्थान सरकार में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 27–4–1991 को चक नम्बर 8 डीडब्ल्यूएम की कुल 71बीघा भूमि धारा 15एएए के तहत आवंटित की है, जिसकी खातेदारी सनद दिनांक 25–05–1991 को जारी हुई, इसलिए निर्धारित दिनांक को धन्नाराम इस 71बीघा का खातेदार नहीं था तथा यह रकबा आराजी काश्त प्री–55 का है, जो सीलिंग प्रकरण की गणना में नहीं जोडा जा सकता है। उनका कथन है कि आईजीएनपी क्षेत्र में 15एएए के मामलों में सींलिग के प्रावधान लागू नहीं होते है, क्योंकि उसमें सीलिंग की गणना के उपरान्त आवंटन होता है। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र

की है, जहां पर सीलिंग सीमा नवीन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत ही जांच की जा सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त क्षेत्र में पुराना सीलिंग कानून लागू नहीं होगा। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली में उपलब्ध तथ्यात्मक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए विलम्ब को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। येाग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 1981 आरआरडी पेज 410, 1976 आरआरडी पेज 475, 1985 आरआरडी पेज 739, 1976 आरआरडी पेज 434, 1999 आरआरडी पेज 575, 2013 आरआरडी पेज 591, 2008 आरबीजे पेज 761, 2006 आरबीजे पेज 127, 2009 आरबीजे पेज 10, 2014 आरबीजे पेज 44, 2004 आरबीजे पेज 169 एवं 1996 आरबीजे पेज 11 उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त एवं अपील संख्या 6089/2003 में पारित निर्णय दिनांक 21-08-2016 एवं अपील संख्या 4126/2003 में पारित निर्णय दिनांक 28-11-2016 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष मृतक एसेसी के वारिसान को बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त श्री नत्थूराम शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये थे किन्तु दिनांक 23-10-2004 को उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एसेसी के परिवार के सदस्यों एवं अभिलेख अनुसार उनके धारण में भूमि की गणना करने के उपरान्त सीलिग सीमा से अधिक भूमि धारण में होना मानते हुए 69.16बीघा भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किये गये। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है।

उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

7. हमने उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के मद्देनजर विलम्ब से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए तथा प्रकरण के गुणावगुण पर मजबूत होने से विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

9. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा रिपोर्ट हल्का पटवारी की रिपोर्ट 10-05-1975 एवं तहसीलदार, भू-अभिलेख नोहर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 2451 दिनांक 16-06-1975 तथा हल्का पटवारी द्वारा तैयार सूचना दिनांक 16-06-1995 जिसमें दिनांक 1-1-1973 को एसेसी के धारण में भूमि का विवरण एवं परिवार के सदस्यों की सूची मय उम्र दर्शित है, जिसे तहसीलदार, रावतसर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया गया, के अवलोकन से स्पष्ट है निर्धारित दिनांक 1-1-1973 को मूल एसेसी धन्नाराम के दो बालिग पुत्र चानणराम उम्र 45वर्ष एवं रामलाल उम्र 40वर्ष मौजूद थे। एसेसी के दोनों बालिग पुत्र चानणराम व रामलाल धारा 2-एम तथा धारा 4(2) के तहत बतौर दो सेपरेट यूनिट पृथकतः अधिकतमः सीमा क्षेत्र में धारण करने के अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने एसेसी धन्नाराम दिनांक 6-4-1973 को जीवित था व उसके परिवार में कुल चार सदस्य थे, जो एक यूनिट कमाण्ड भूमि

धारण करने का अधिकारी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1981 आरआरडी पेज 410, 1976 आरआरडी पेज 475, 1985 आरआरडी पेज 739, 1976 आरआरडी पेज 434, 1999 आरआरडी पेज 575 में प्रतिपादित अभिमत अनुसार एसेसी के बालिग पुत्रो को धारा 2(एम) एवं धारा 4(2) के तहत पृथक यूनिट धारण का अधिकारी माना गया है। जहां तक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में एसेसी धन्नाराम के दो बालिग पुत्र होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है, पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट में एसेसी के दो बालिग पुत्र होना दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में एसेसी द्वारा बालिग पुत्र होने बाबत् अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 2407/1991 में पारित निर्णय दिनांक 27-04-1991 से भी निर्धारित दिनांक को एसेसी के दो बालिग पुत्र होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार एसेसी व उसका परिवार निर्धारित तिथि 1-1-1973 (6-4-1973 से राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में लागू किया) को एक प्रीमिलरी एवं दो पृथक-पृथक यूनिट कमाण्ड भूमि धारण करने की पात्रता रखता था जबकि प्रस्तुत प्रकरण में एसेसी धन्नाराम व उसके परिवार के धारण में केवल मात्र 46बीघा 12बिस्वा कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि ही राजस्व अभिलेख में खातेदारी में दर्ज थी, शेष चक नम्बर-8 डीडब्ल्यूएम की कुल 71 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27-04-1991 से धारा 15एएए के तहत 25बीघा निशुल्क तथा शेष 46बीघा कमाण्ड कीमतन आवंटित की गयी, जिसके खातेदारी सनद दिनांक 25-05-1991 को जारी हुई है। इसलिए निर्धारित दिनांक 1-1-1973 को एसेसी धन्नाराम चक नम्बर-8 डीडब्ल्यूएम की कुल 71बीघा भूमि प्री-55 (आराजी काश्तकार) थी, जिसे सीलिंग अधिनियम के तहत सीलिंग प्रकरण में शामिल नहीं किया जा सकता। इसी आशय का सिद्धान्त योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 2013 आरआरडी पेज 591 में प्रतिपादित किया गया है।

10. उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (एसडीएम), रावतसर ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए एसेसी धन्नाराम के वारिसान को 43.04 बीघा कमाण्ड तुल्य भूमि धारण करने का अधिकारी मानते हुए शेष 69. 16 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

11. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-5-2005 एवं प्राधिकृत अधिकारी (एसडीएम) रावतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-10-2004 निरस्त किया जाता है तथा मृतक एसेसी धन्नाराम के वारिसान के विरूद्ध संस्थित सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य